रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 1973/माघ 11, 1894

No. 41] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1973/MAGHA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January 1973

S.O. 55(E).—The following Order made by the Central Government on the 31st January, 1973 is published for general information:—

THE FORMER SECRETARY OF STATE SERVICE OFFICERS (CONDITIONS OF SERVICE) ACT (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER NO. 1.

In exercise of the powers conferred by section 11 of the Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972 (59 of 1972) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government, hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) (Removal of Difficulties) Order No. 1.

(2) It shall come into force at once.

2. Where an ICS member of the Indian Administrative Service or an IP member of the Indian Police Service seeks to retire prematurely from service in pursuance of section 6 of the Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972, and the Central Government is satisfied that compliance with the requirement of at least three months' previous notice in writing to the Government of the State on whose Cadre he is borne, is likely to cause undue difficulties to such member and that his retirement from service before the expiry of the said period of three months is not prejudicial to the interests of Government, the Central Government may waive such requirement.

[No. 31/25/72-AIS(I).]

By Order and in the name of the President.

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1973

एस०ओ० 55 (अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 जनवरी, 1973 को बनाया गया निम्नलिखित आदेश, आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम (कठिनाईयों का निवारण) आदेश सं० 1

भूतपूर्व सैक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 (1972 का 59) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

(1) इस आदेश को भूतपूर्व सैक्रेट्री आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) (कठिनाईयों का निवारण) आदेश सं० 1 कहा जाए।

(2) यह तुरन्त लागू हो जाएगा।

2. जहां भारतीय प्रशासन सेवा का कोई भारतीय सिविल सेवा सदस्य अथवा भारतीय पुलिस सेवा का कोई भारतीय पुलिस सदस्य, भूतपूर्व सैक्रेट्री आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अनुसरण मे, सेवा निवृत्ति से पूर्व सेवा निवृत्त होना चाहता है और केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उस राज्य सरकार को, जिसके संवर्ग मे वह प्रस्तुत है, कम से कम तीन महीने के पूर्व नोटिस की अपेक्षा का पालन किए जाने से ऐसे सदस्य को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करने की संभावना है और उपर्युक्त तीन मास की अवधि के व्यतीत होने से पूर्व उसकी सेवा निवृत्ति सरकार के हितों के विपरीत नही है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसी अपेक्षा को छोड़ सकती है।

[सं० 31/25/72-अ०भा०से० (II)]

राष्ट्रपति के नाम से आदेश।

श्रवण कुमार। संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973